


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17 दिनांक:-20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	शंकरलाल पांचावत	पालीसोडा-बीछीवाडा से बा0 देबारी-गिर्वा के आदेश पर	स्थानान्तरित स्थान बा0 देवाली के स्थान पर बा0 देबारी-गिर्वा पढा जावें


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।


संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:- 02.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
5. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17
दिनांक:-09, 18,19 एवं 20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	मोहन लाल	कृष्णनगर-दुलंगी नाडी जोधपुर से खाजपुर-नया झुंझनु के आदेश पर	कृष्णनगर-दुलंगी नाडी से संबंधित जिला कॉलेज झुंझनु के स्थान पर जोधपुर पढा जावें ।
2	बलराम रांगेरा	खाजपुर-नया झुंझनु से कृष्णनगर-दुलंगी नाडी जोधपुर के आदेश पर	कृष्णनगर-दुलंगी नाडी से संबंधित जिला कॉलेज झुंझनु के स्थान पर जोधपुर पढा जावें ।
3	गोपाल लाल मीणा	बावडीकलों चौहटन से लावा टॉक के आदेश पर एवं बावडीकलों बाडमेर से बाडों की ढाणी बाडमेर के आदेश पर	बावडीकलों बाडमेर से बाडों की ढाणी बाडमेर के आदेश पर निरस्त । (दोहरा स्थानान्तरण आदेश व कारण)
4	सुरेन्द्र पाल गुप्ता	राउमावि एच.एम.ओ वार्ड नं० 18 हनुमानगढ से उत्तमसिंह वाला हनुमानगढ	आदेश में कार्मिक का नाम मदनलाल पुरोहित के स्थान पर सुरेन्द्रपाल गुप्ता पढा जावें ।
5	श्रवण लाल जांगिड	जम्भेश्वरनगर-फलोदी जोधपुर से मनाना नागौर के आदेश पर	आदेश के प्रभावी तिथि 1.1.17 के स्थान पर 01.11.16 पढी जावें ।
6	पूर्णन्दु राम	डाबारीयानी कलों से कोटडी लुहारावास सीकर के आदेश पर	बा०कोटडी लुहारावास सीकर के स्थान पर कोटडी लुहारावास सीकर पढा जावें ।
7	लक्ष्मीनारायण	कोटडी लुहारावास सीकर से डाबारीयानी कलों नागौर के आदेश पर ।	बा०कोटडी लुहारावास सीकर के स्थान पर कोटडी लुहारावास सीकर पढा जावें ।
8	राकेश कुमार मीणा	खण्डप,बाडमेर से भुवाल-रियाबडी नागौर के आदेश पर	आदेश के प्रभावी तिथि 1.12.16 पढी जावें ।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी ।


 संयुक्त निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

क्रमंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:-02.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संबंधित उपनिदेशक(प्रारम्भिक/माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
4. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक-कार्मिक


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17
दिनोंक:-09, 18,19 एवं 20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों
निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	मोहन लाल	कृष्णनगर-दुलंगी नाडी जोधपुर से खाजपुर-नया झुंझनु के आदेश पर	कृष्णनगर-दुलंगी नाडी से संबंधित जिला कॉलेज झुंझनु के स्थान पर जोधपुर पढा जावे।
2	बलराम रांगेरा	खाजपुर-नया झुंझनु से कृष्णनगर-दुलंगी नाडी जोधपुर के आदेश पर	कृष्णनगर-दुलंगी नाडी से संबंधित जिला कॉलेज झुंझनु के स्थान पर जोधपुर पढा जावे।
3	गोपाल लाल मीणा	बावडीकलों चौहटन से लावा टॉक के आदेश पर एवं बावडीकलों बाडमेर से बाडों की ढाणी बाडमेर के आदेश पर	बावडीकलों बाडमेर से बाडों की ढाणी बाडमेर के आदेश पर निरस्त। (दोहरा स्थानान्तरण आदेश कारण)
4	सुरेन्द्र पाल गुप्ता	राउमावि एच.एम.ओ वार्ड नं० 18 हनुमानगढ से उत्तमसिंह वाला हनुमानगढ	आदेश में कार्मिक का नाम मदनलाल पुरोहित के स्थान पर सुरेन्द्रपाल गुप्ता पढा जावे।
5	श्रवण लाल जांगिड	जम्भेश्वरनगर-फलीदी जोधपुर से मनाना नागौर के आदेश पर	आदेश के प्रभावी तिथि 1.1.17 के स्थान पर 01.1 16 पढी जावे।
6	पूर्णन्दु राम	डाबारीयानी कलों से कोटडी लुहारावास सीकर के आदेश पर	बा०कोटडी लुहारावास सीकर के स्थान पर कोटडी लुहारावास सीकर पढा जावे।
7	लक्ष्मीनारायण	कोटडी लुहारावास सीकर से डाबारीयानी कलों नागौर के आदेश पर।	बा०कोटडी लुहारावास सीकर के स्थान पर कोटडी लुहारावास सीकर पढा जावे।
8	राकेश कुमार मीणा	खण्डप,बाडमेर से भुवाल-रियाबडी नागौर के आदेश पर	आदेश के प्रभावी तिथि 1.12.16 पढी जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।


संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनोंक:-02.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संबंधित उपनिदेशक(प्रारम्भिक/माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
4. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:-09, 18,19 एवं 20.10.16 द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेशों निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	स्थानान्तरण आदेश	संशोधन
1	श्रवण कुमार शर्मा	विरासना-जमवारामगढ जयपुर से कॉलेट-भीनमाल जालौर के आदेश पर	कार्मिक की कार्यग्रहण तिथि में दिनांक:- 15.11.16 तक अभिवृद्धि की जाती है ।
2	दाउदयाल गुप्ता	उम्मेदपुरा भीलवाडा से सिनसिनी-डीग भरतपुर के आदेश पर	उम्मेदपुरा-भरतपुर के स्थान पर उम्मेदपुरा-भीलवाडा पढा जावें ।
3	मूनोज चौहान	सिनसिनी-डीग भरतपुर से उम्मेदपुरा-भीलवाडा के आदेश पर	उम्मेदपुरा-भरतपुर के स्थान पर उम्मेदपुरा-भीलवाडा पढा जावें ।
4	हरिसिंह	राउमावि भलूरी बीकानेर एपीओ कार्यालय हाजा से इस्लामपुर-झुंझनु के आदेश पर	इस्लामपुर बीकानेर के स्थान पर इस्लामपुर झुंझनु पढा जावें ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी ।



संयुक्त निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17 दिनांक:- 02.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संबंधित उपनिदेशक(प्रारंभिक/माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
4. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक